न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 227/2023 GCMS No.—2022/198

1. हनुमान पुत्र स्व. रूघनाथ
2. देशबंधु पुत्र स्व. रामजीलाल
3. पवन पुत्र स्व. रामजीलाल
4. प्रहलाद पुत्र स्व. रामेश्वर
5. कैलाश पुत्र स्व. रामेश्वर
6. घनश्याम पुत्र स्व. रामेश्वर
7. गोपाल पुत्र रामनारायण
8. जगदीश पुत्र रामनारायण

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय जमवारामगढ के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25.11.1981 में गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.11.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 25.11.1981 जिससे नामान्तरकरण संख्या 357 वाके ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ अपीलांट के नाम स्वीकार किया जाने से खारिज किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 06.12.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नंबर 127 रकबा 6 बिस्वा का नियमन द्वारा लादू पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 व अपीलांट संख्या 1 अपीलांट संख्या 2 लगायत 8 के पूर्वज स्व. श्री रामनारायण, रामेश्वर, रामजीलाल पुत्रान रूघनाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 के हक में वर्ष 1978 में किया गया तत्पश्चात् उक्त भूमि बाबत न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पत्रावली संख्या 324 वर्ष 1978 तारीख फैसला दिनांक 15.04.1978 द्वारा सरकार बनाम लादू व अन्य में आदेश पारित करते हुये हल्का पटवारी को नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 357 भरकर तथा गिरदावर रिपोर्ट के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पश्चात तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन तहसीलदार जी बिना किसी अधिकारिता के अपने द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 25.11.1987 को निरस्त कर दिया जो गलत है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पत्रावली संख्या 324 वर्ष 1978 तारीख फैसला दिनांक 15.04.1978 द्वारा सरकार बनाम लादू में आदेश पारित करते हुए पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किया गया। किन्तु गिरदावर रिपोर्ट के पश्चात तहसीलदार जी द्वारा बिना किसी सम्यक कारण के अपने द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 25.11.1981 को निरस्त कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम नायला स्थित भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 6 बिस्वा भूमि पर अपीलांट के पूर्व अर्से दराज से सिंचाई हेतु कुंआ बनाकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कुंआ स्थित है जिससे अपीलांट के अन्य खेतो में सिंचाई होती है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजो को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था कि उक्त उक्त नामान्तकरण कौनसे आदेशों के विपरीत है जबकि ग्राम नायला में ही नामान्तकरण संख्या 358, 359, 360, 361 भरकर स्वीकृत हुए है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा रंजिशवश अपीलांट का नामान्तकरण खारिज कर दिया। दिनांक 10.11.2022 को तहसील के राजस्व कर्मचारी मौके पर आये एवं अपीलांट को जबरन बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 17.11.2022 को अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा अविलम्ब माननीय न्यायालय हाजा में अपील पेश की है। विधि का सुव्यवस्थित सिद्वान्त है कि जहां पर विधिक बिन्दू निहित हो वहां पर मियाद के तथ्य का न्यायालय को सहानूभूति रखनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 25.11.1981 बाबत नामान्तकरण संख्या 357 को निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की आज्ञा पारित करने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा आदेश दिनांक 19.04.1978 के विपरीत होने से अस्वीकार किया गया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन मूल नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 357 पटवारी हल्का द्वारा तहसील आदेश संख्या 78 दिनांक 19.04.1978 के तहत भरा गया एवं गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 04.06.1981

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अनुसार मुताबिक आदेश निरस्त किये जाने की रिपोर्ट पेश की गयी। जिसके आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण नियमन आदेश के विपरीत होने से नामान्तकरण खारिज किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि खसरा नंबर 127 वाके ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ वर्तमान जमाबन्दी अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूंकि प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण के हित प्रभावित होते है इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण को बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार का प्रतिकूल आदेश पारित किया जाना उचित नहीं समझते है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में जयपुर विकास प्राधिकरण को भी पक्षकार नहीं बनाया गया जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। साथ ही अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमन आदेशो के विपरीत होने से अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया है। नामान्तकरण जैसी फिसकल प्रोसिडिंग्स में किसी के हक, हकूक, अधिकार, नियमन संबंधी बिन्दुओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के लगभग 40 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है एवं अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर वर्णित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। इसलिए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ का नामान्तकरण निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर